रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 1973/कार्तिक 2, 1895

No. 259] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 1973/KARTIK 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & A.R.)

NOTIFICATION

New Delhi the 24th October 1973

G.S.R 477 (E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 in regulation 5, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(4) The Selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects:

Provided that where the merits of two or more officers are found to be equal, seniority shall be taken into account."

[No. 11/12/71-AIS (I)-A]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1973

सा०का०नि० 477 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 1973 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ऐसी सूची में शामिल किए जाने हेतु चयन सभी दृष्टियों से गुणागण तथा उपयुक्ता पर आधारित होंगे :

परन्तु जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों के गुणावगुण समान पाए जाएं वहां वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा ।"

[संख्या 11/12/71—अ० भा० से० (1)-क]

G.S.R 477 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, in regulations 5, for sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(4) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects:

Provided that where the merits of two or more officers are found to be equal, seniorit shall be taken into account."

[No. 1x/12/71-AIS (I)-B]

सा०का०नि० 478 (अ)—भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ

लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 1973 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) ऐसी सूची में शामिल किए जाने हेतु चयन सभी दृष्टियों से गुणावगुण तथा उपयुक्तता पर आधारित होंगे :

परन्तु जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों के गुणावगुण समान पाए जाएं वहां वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा ।

[सं० 11/12/71-अ० भा० से० (1)-ख]

G.S.R. 479 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966 namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, in regulation 5, for sub-regulation (3A) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3A) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects:

Provided that where the merits of two or more officers are found to be equal, seniority shall be taken into account."

[No. 5/22/73-AIS(IV)]

S. P. MUKERJI, Jt. Secy.

सा०का०नि० 479 (अ).—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 1973 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 में, उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) ऐसी सूची में शामिल किए जाने हेतु चयन सभी दृष्टियों से गुणावगुण तथा उपयुक्तता पर आधारित होंगे :

परन्तु जहां दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों के गुणा वगुण समान पाए जाएं वहां वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा ।"

[सं० 5/22/73-अ० भा० से० (4)]

एस० पी० मुकर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973